17/7/24 :- पत्रावलि प्रस्तुत हुई। उक्त तारीख पेशी पर वादी ताधिवक्ता की ओर से एकतरफा बहस सुनी गयी थी। वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे में प्रमुखत: कथन किया है कि दावे में वर्णित आराजी पर 75-76 साल से शांतिपूर्वक काबिज है और वक्त राज. काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 के व राज. बिश्वेदारी व जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम सन् 1959 के लागू होने से पूर्व से ही काबिज थे व स्वत: कानूनन खातेदारी के अधिकार प्राप्त

क्रमश:..

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला - अलवर (राज0)

उनवान

सुषमा बाई .... बनाम .... राजस्थान सरकार

म मुकद्मा ....—....... अन्तर्गत धारा .... 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

ख म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हो गये है। वादीगण ने राज. सरकार के परिपत्र के अनुसार राजकोष में उक्त आराजी के 1/2 भाग की कीमत व पेनल्टी इत्यादि की खातेदारी प्राप्त करने हेतु जमा करवाने के अधिकारी होने का अंकन वाद में किया है। इस प्रकार वादी ने वाद में वर्णित आराजी के 1/2 भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार मालिक घोषित किये जाने तथा बाद दुरुस्ती राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दीयात हाल में वादीगण के नाम का खातेदारी व अमल दरामद करने का अनुतोष प्राप्त करने हेतु वाद दायर किया है। प्रतिवादी तहसीलदार मुण्डावर ने अपने जवाब दावा में उक्त आराजीयात को कस्टोडियन भूमि होना तथा वादी द्वारा नियमानुसार खातेदारी प्राप्त करने की कार्यवाही करने का जवाब प्रस्तुत किया है। वादी अधिवक्ता ने एकतरफा बहस के दौरान वाद के कथनों का दोहराव किया। पत्रावलि का अवलोकन किया एंव बहस पर मनन किया। इसके उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी द्वारा राज. काश्त. अधिनियम	

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (...)

तारीख हुकम	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - मुण्डावर हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सुषमा बाई बनाम सरकार	नम्बर व तारीख जो इस हुकम से में जारी
	की धारा 88, 89, 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया है न कि धारा-19 और न ही राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती हेतु राज. कू-राजस्व अधि. की धारा-136 के तहत वाद प्रस्तुत किया है। वर्तमान जमाबन्दी में खुदकाश्त का अंकन ही नही है वरन गैर-खातेदारी का इन्द्राज है। तहसीलदार मुण्डावर ने उक्त आराजी को कस्टोडियन आराजी होना वर्णित किया है जिसका खण्डन वादी द्वारा नहीं किया है वरन कथन किया है कि वे नियमानुसार कीमत व पेनल्टी जमा करवाने के अधिकारी है। इस प्रकार आराजी का कस्टोडियन आराजी होना स्पष्ट होता है। यह न्यायालय कस्टोडियन आराजी के गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने में स्वयं को सक्षम नहीं पाता है, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से नियम-कानून, परिपत्र इत्यादि जारी है, जिनके आलोक में वादी अनुतोष प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही वादी कर सकता है। अतः इस प्रकार उक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा सक्षमता न होने एवं अनुतोष प्रदान करने हेतु करना इस स्तर से संभव न होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 19/7/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद समुचित कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।	

19/7/24

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर